गुप्त

सं.: 12/17/2006-IPR VII
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग

भारत गणराज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
तथा
आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्रालय, जापान
के बीच
सहयोग पर समझौते का ज्ञापन

दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को जापान-भारत रणनीतिक और वैश्विक सहभागिता की ओर अपने संयुक्त वक्तव्य में माननीय डॉ. मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री, भारत गणराज्य और माननीय श्री शिंजो अबे, प्रधानमंत्री, जापान ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी सरकारें बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में क्षमता सृजन गतिविधि के साथ-साथ मानव संसाधन विकास, आर्थिक उन्नति के लिए बौद्धिक सम्पदा की महत्ता की पहचान की दिशा में सहयोग जारी रखेगी।

उपर्युक्त संदर्भ में दोनों मंत्री बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में द्विपाक्षिक सहयोग, मुख्यतः क्षमता सृजन, मानव संसाधन विकास और जन-जागरूकता कार्यक्रम, बढ़ाने पर सहमत हुए।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दोनों मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि इस क्षेत्र में सहयोग की मूल रूप-रेखा और ठोस उपायों का विकास एवं क्रियान्वयन उनकी संबंधित प्रभारी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, अर्थात् कार्यालय, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न तथा जापान पेटेंट कार्यालय द्वारा।

तदनुसार, एक तरफ कार्यालय, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत गणराज्य, और दूसरी ओर जापान पेटेंट कार्यालय (जेपीओ), आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्रालय, जापान,

जिन्हें इसके बाद पक्षकार कहा गया है,

निम्नलिखित समझौते पर सहमत होते हैं:

अनुच्छेद 1
उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में इस क्षेत्र की दो संस्थाओं के उत्तरदायित्वों के अनुसरण में इन पक्षकारों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाना है।

पक्षकार इन समान लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है:

(क) उनकी बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा प्रणाली में सुधार;
(ख) बौद्धिक सम्पदा से संबंधित पारदर्शी और सरलीकृत प्रक्रियाओं की स्थापना;
(ग) बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा के लिए जन-जागरूकता को बढ़ावा देना।

अनुच्छेद 2
सहयोग के क्षेत्र

अपने संबद्ध उद्योग और नागरिकों के लाभार्थ भारत और जापान दोनों जगह बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों को सुदृढ़ बनाने के लिए सहयोग पर दोनों पक्षकार सहमत हुए।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दोनों पक्षकार बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में क्षमता सृजन, मानव संसाधन विकास और जन-जागरूकता कार्यक्रमों में परस्पर विश्वास, सम्मान एवं समान आदर्शों के आधार पर एक संबंध विकसित करने के लिए सहमत होते हैं।

अनुच्छेद 3
क्षमता सृजन

दोनों पक्षकार बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में क्षमता सृजन के लिए मिलकर कार्य करेंगे जिसमें बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों का स्वचालन और आधुनिकीकरण, डाटाबेस का विकास और बौद्धिक सम्पदा आवेदनों की प्रक्रिया के युक्तिकरण और सरलीकरण के साथ-साथ पेटेंट आंकड़े, पेटेंट परीक्षण प्रक्रिया में सर्वोत्तम व्यवहार आदि शामिल हैं।

अनुच्छेद 4
मानव संसाधन विभाग

दोनों पक्षकार दोनों देशों में बौद्धिक सम्पदा प्रणालियों के कार्य को सुदृढ़ करने की दृष्टि से बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में कर्मचारी के प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास में सहयोग करेंगे जिसमें पेटेंट परीक्षण प्रशिक्षण शामिल है।

अनुच्छेद 5
जन-जागरूकता कार्यक्रम

दोनों पक्षकार बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में जन-जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। इसमें सेमिनार, सिम्पोजिया और आविष्कारकों, वैज्ञानिकों, व्यवसायियों, बौद्धिक सम्पदा प्रबंधकों सहित हितधारकों के लिए कार्यशालाओं का संयुक्त आयोजन शामिल हो सकता है।

अनुच्छेद 6
सूचना हस्तांतरण और अनुभव अंशदान

दोनों पक्षकार बौद्धिक सम्पदा और प्रत्येक पक्ष में आयोजित बौद्धिक सम्पदा अवसरों, गतिविधियों और प्रयासों पर सूचना हस्तांतरण और अनुभव अंशदान को बढ़ावा देंगे।

सूचना हस्तांतरण और अनुभव अंशदान का क्रियान्वयन किसी दूतावास और अन्य संस्थाओं जैसे भारत की सर्वोच्च उद्योग संगठन जैसे कि भारत की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड

इंडस्ट्री, कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री तथा जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जेइटीआरओ) के माध्यम से किया जा सकता है।

अनुच्छेद 7
वार्षिक कार्य-योजना

दोनों पक्षकार प्रत्येक वर्ष चलाए जाने वाले निर्दिष्ट सहयोग गतिविधियों का निर्धारण करने वाले वार्षिक कार्य-योजना की संयुक्त रूप से रूप-रेखा तैयार करेंगे और सहमत होंगे।

वार्षिक कार्य-योजना में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल होंगे,

क. बौद्धिक सम्पदा कार्यालय कार्यकताओं, बौद्धिक सम्पदा प्रबंधकों, बौद्धिक सम्पदा व्यवसायियों और बौद्धिक सम्पदा नीति निर्माताओं के प्रशिक्षण में भारत और जापान के बीच अनुभव बांटना।
ख. बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के स्वचालन, बौद्धिक सम्पदा डाटाबेस और पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाईन आदि की परीक्षण प्रक्रियाओं के विकास की सूचना और सर्वोत्तम पद्धति का हस्तांतरण।
ग. विद्यार्थियों, उद्योगपतियों और सिविल समाज के बीच बौद्धिक सम्पदा के विषय में जागरूकता प्रसारित करने की सर्वोत्तम पद्धति का हस्तांतरण।
घ. अधिकार धारकों और उपभोक्ताओं के बीच विद्यमान चिंताओं के निराकरण के लिए संस्थागत व्यवस्था के विषय में सूचना का हस्तांतरण।
ड. निर्दिष्ट बौद्धिक सम्पदा मुद्दों पर संयुक्त गतिविधियां।
च. प्रायिकता कला के डाटाबेस पर अनुभव बांटना।

प्रत्येक वार्षिक कार्य योजना में कार्य के क्षेत्र, संसाधनों का प्रशासन और समनुदेशन, समय-सूची और कोई अन्य आवश्यक समझे जाने वाली सूचना सहित सहयोग गतिविधियां चलाने के लिए विस्तृत योजना शामिल है।

प्रत्येक वार्षिक कार्य योजना में इस समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट सभी क्षेत्रों की सहयोग गतिविधियां शामिल करना आवश्यक नहीं है।

अनुच्छेद 8
निगरानी तंत्र

वार्षिक कार्य योजना की रूप-रेखा तैयार करने, उनके क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करने तथा दोनों पक्षकारों के हितार्थ किसी बिन्दु पर विचारों का आदान-प्रदान सुलभ कराने के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जेसीएम) की स्थापना की जाएगी।

यह जेसीएम वर्ष में कम से कम एक बार बैठक कर वार्षिक कार्य योजना पर विचार-विमर्श करेगी और जारी सहयोग गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन करेगी। इसकी बैठक दोनों पक्षकारों में से किसी एक के औपचारिक लिखित अनुरोध पर भी बुलाई जा सकेगी, बशर्ते की दूसरा पक्ष सहमत हो।

गुप्त

सं.: 12/17/2006-IPR VII
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग

अनुच्छेद 9
धन

प्रत्येक गतिविधि का क्रियान्वयन संबद्ध पक्षकारों के वार्षिक बजट में अपेक्षित कोष की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

अनुच्छेद 10
प्रवृत्त होना

वर्त्तमान समझौता ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर की तारीख के अगले दिन से प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 11
निरस्तीकरण

यह समझौता ज्ञापन दो वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया है इसके पश्चात् दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति पर इसे नवीकृत करने का उद्देश्य है।

कोई पक्ष दूसरे पक्ष को कम से कम 90 कलेण्डर दिवस की लिखित सूचना देकर किसी भी समय इस समझौता ज्ञापन को निरस्त कर सकता है।

इस समझौता ज्ञापन को समय से पूर्व निरस्त करने से इसके प्रवृत्त रहने के समय सहमत वार्षिक कार्य कार्यक्रमों के तहत किए जा रहे किसी सहयोग कार्य की पूर्ति प्रभावित नहीं होगी।

दिनांक 24 मई, 2007 को टोक्यो में अंग्रेजी भाषा की दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित।

अकिरा अमारी
आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्री,,
जापान

कमल नाथ
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
भारत गणराज्य